

2022/107

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शहापुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 7 / 2022 1123

10-6-22

किशोरसिंह वगैरह बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958

निर्णय दिनांक 10.6.2022

प्रशासन गावों के संग अभियान फालोअप कैम्प राडावास में उप तहसीलदार अमरसर के द्वारा ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.57 है० में से 0.0240 है०, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.77 है० में से 0.0288 है०, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.48 है० में से 0.0160 है०, खातेदारी भूमि में मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत प्राप्त हुआ । मौके पर ही प्रकरण में पक्षकारान / खातेदारों को सुना गया तथा सभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के द्वारा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में ग्राम पंचायत राडावास के द्वारा भी मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होना बताया है । उप तहसीलदार अमरसर ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता होना बताया है । इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत राडावास पटवारी, गिरदावर हल्का व उपतहसीलदार अमरसर की फर्द मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि मौके पर भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है । खातेदारान ने भी रास्ता दर्ज करने की सहमति प्रदान की है ।

अतः ग्राम ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.57 है० में से 0.0240 है०, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.77 है० में से 0.0288 है०, खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.48 है० में से 0.0160 है० खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी है । पत्रावली फैंसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.6.2022 को कैम्प राडावास मे सुनाया गया ।

(मन मोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)
दिनांक 10-6-22

कमांक / कैम्प / 2022 / 123

प्रतिलिपि:- तहसीलदार शाहपुरा को दी जाकर लेख है कि आप निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता का अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे ।

(मन मोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)